दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना तथा पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना पर गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों तथा केन्द्र सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन ।

पक्षकारों के नाम तथा पता

1. गुजरात सरकार, नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति विभाग व कल्पसर विभाग, सरदार भवन, सचिवालय, गांधीनगर (गुजरात)।
2. महाराष्ट्र सरकार, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग, मंत्रालय, मुंबई।
3. केन्द्र सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।

परिचय

(क) जबकि केन्द्र सरकार नदियों को जोड़ने के इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व का मानती है और परियोजना को समयबद्धरूप से पूरा करने के लिए परियोजना के वित पोषण तंत्र के साथ राज्यों के हिस्सों के तरीके और माध्यम की खोज करेगी।

(ख) और जबकि केन्द्र सरकार, राज्यों की सलाह से समझौतों के अनुरूप जल के प्रचालन और नियंत्रण के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार को शामिल करते हुए उपयुक्त संस्थानिक प्रबंधन करेगी।

(ग) तथा जबकि समग्र राष्ट्रीय हित में नदी जोड़ने के कार्य में राज्यों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है :

अब, इसलिए पक्षकार आपसी सहमति से एतद द्वारा निम्नानुसार मानते हैं:

1. संघ सरकार दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (इसे डी. पी. आर. मानें) की तैयारी और पूरा करने के लिए आवश्यक संगठनीय रूपरेखा का अभिज्ञान और निर्णय लेगी।

2. दमनगंगा-पिंजल लिंक तथा पार-तापी-नर्मदा लिंक की डी. पी. आर. के आधार पर जिन सहमति ज्ञापनों और प्रत्येक लिंक के काम की गुंजाइश, लागत और लाभों की साझेदारी तथा जल के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए प्रबंध पर समझौतों की आवश्यकता होगी, उन्हें गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों और केन्द्र सरकार के मध्य किया जाएगा।

3. दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना से मुंबई शहर की घरेलू जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल आपूर्ति की वृद्धि का लाभ महाराष्ट्र राज्य सरकार को मिलेगा, जबकि गुजरात राज्य को भुगड और खारगीहिल बांधों से प्राप्त अतिरिक्त शेष जल का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन दमनगंगा-पिंजल लिंक के प्रचालन तथा प्रभावी निगरानी तथा सफल क्रियान्वयन के लिए ईष्टतम तथा समेकित आयोजना सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त लक्ष्य का अनुपालन करने के लिए केन्द्र सरकार के सर्वसम्मति के प्रयासों के फलस्वरूप् उनके तथा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य व्यापक सम्मति तथा 'सिद्धांतत:' सहमति हो गई है। डी. पी. आर. को अंतिम रूप देने से पहले राज्यों द्वारा उठाए गए मुददों जैसे जल साझेदारी का मुददा, लिंक नहर में पथांतरण की प्रभात्रा, दमनगंगा बेसिन में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं की खोज तथा लिंक को तन्सा जलाश्य तक बढ़ाने आदि पर विचार करके उनका हल निकला जाएगा।

4. प्रस्ताव है कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना से लिंक नहर के मध्यम से मार्गस्थ सिंचाई और विस्थापन द्वारा सूखा प्रवण कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में भी गुजरात राज्य को लाभ मिलेगा। इस लिंक परियोजना के स्थित उर्जा घर से उत्पादित ऊर्जा की साझेदारी के बारे में भी डी. पी. आर. तैयार करते समय अध्ययन किया जाएगा । राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन पार-तापी-नर्मदा लिंक के प्रचालन तथा प्रभावी निगरानी और सफल क्रियान्वयन के लिए ईष्टतम तथा समेकित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त लक्ष्य का

अनुपालन कराने के लिए केन्द्र सरकार के सर्वसम्मति के प्रयासों के फलस्वरूप उनके तथा राज्यों के मध्य व्यापक सहमति तथा 'सिद्धांतत: सहमति' में गई है।

5. डी.पी.आर. तैयार करते समय पश्चिमी विभेद पर जल उत्थापन द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अपने क्षेत्र में जल उपयोग की सम्भाव्यता का भी अध्ययन किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य ने उसके कमान क्षेत्रों से दिए गए जल अंशदान की प्रमात्रा की पूर्ति के मुद्दे को उठाया जिसका समाधान डी.पी.आर. बनने के पश्चात जब लिंक से पथांतरित जल की प्रमात्रा की पुष्टि हो जाएगी तब उसे आपसी सहमति से राज्यों द्वारा निकाला जाएगा।

6. तापी बेसिन से पथांतरित जल को ध्यान में रखते हुए पार-तापी-नर्मदा लिंक की सम्भाव्यता रिपोर्ट में नहर का जो आकार आरेखित किया गया है, गुजरात सरकार ने उसे ही बनाए रखने का अनुरोध किया है जिसे ध्यान में रखकर डी.पी.आर. चरण में सिमुलेशन अध्ययनों के आधार पर उकई बांध से नर्मदा नहर के आकार का निर्धारण किया जाएगा।

7. संघ सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त बॉडी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण दोनों लिंकों नामत: पार-तापी-नर्मदा लिंक तथा दमनगंगा-पिंजल लिंक की डी.पी.आर. तैयार करेगा।

8. देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं के समग्र हित में कम करने के लिए दोनों राज्य सरकारें आपस में तथा केन्द्र सरकार से समझौते करेंगी और उनका अनुपालन करेंगी।

9. सहमति ज्ञापन में कोई भी समीक्षा/संसाधन मंत्री पत्रकारों के सहमति से ही किया जाएगा।

10. दमनगंगा-पिंजल लिंक तथा पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए इसे गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य और संघ सरकार के मध्य हस्ताक्षरित किया जाता है।

3 मई, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर
(नरेन्द्र मोदी)
मुख्यमंत्री, गुजरात
गुजरात राज्य के लिए

हस्ताक्षर
(अशोक शंकरराव चव्हाण)
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य के लिए

हस्ताक्षर
(पवन कुमार बंसल)
जल संसाधन मंत्री
संघ सरकार के लिए